

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

पंजीकरण
कराने
का सुनहरा अवसर
अब दिनांक

08.03.2022
तक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में

एफ-45 जी + 3 प्रकार के स्व-वित्त पोषित भवन (128 नग)
प्राप्त करने की अवधि अब **08.03.2022** तक बढ़ा दी गयी है।

भवनों का विवरण:			रेरा पंजीकरण सं. UPRERAPRJ4365 47				www.up-rera.in	
1	2	3	4	5		6		7
सम्पत्ति का प्रकार	कारपेट एरिया (वर्ग मी०)	सुपर एरिया क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)		चयन के पश्चात् पंजीकरण धनराशि के समायोजन उपरान्त भवन में समाहित भूमि मूल्य + प्रथम किश्त की अनुमानित धनराशि जो मांगपत्र निर्गत होने के 30 दिन में जमा करनी होगी। (रु. लाख में) :		अवशेष अनुमानित कुल धनराशि जो 7 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी (रु. लाख में)
				सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	
एफ-45 प्रकार के जी+3 स्ववित्त पोषित भवन।	G.F. 33.60 F.F. 33.60 S.F. 33.60 T.F. 33.60	44.975 44.975 44.975 44.975	25.14 22.72 22.45 22.18	1.26	0.63	13.72	14.35	नम्बरिंग के उपरान्त तल के अनुसार अवशेष आंगणित कुल धनराशि 7 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

पंजीकरण पुस्तिका रु. 1000/- भुगतान कर इण्डसण्ड बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) बैंक में जमा की जा सकती है।

ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक:- इण्डसण्ड बैंक अपर ग्राउन्ड प्रथम तल, प्लॉट सं० -2 एम स्ववायर, बसंत विहार, दिल्ली रोड, सहारनपुर

नोट : अधिक जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट

www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।

सम्पर्क :- मुख्य शाखा प्रबंधक, मो. 9149381068 | श्री पार्थ श्रीवास्तव, मो. 8840552584

सम्पर्क सूत्र: श्री सुनील शर्मा - 7705003066 | मो. 9818214196 | मो. 8588877002

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104 - महत्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

वेबसाइट: www.upavp.in, ई-मेल : info@upavp.com



विस्तृत जानकारी के लिए कृपया परिषद के

फोन नं. : 1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803 पर सम्पर्क करें

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लागिंग करें